8/11/19 मिसल पेश। वादिया अधि. उप। भतिवादीगण के अधिवक्ता उप। प्रेमकार सिकार उप। विभाजन प्रस्ताव हेतु समय मांगा। मिसल पश्चात विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 22/11/19 को पेश हो।

22/11/19 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित है। ~~विभाजन अधिकारी अवकाश में होने। अन्य सहायक~~ पत्रावली वापस लौटे। बार एसोसिएशन की प्रार्थना से पत्रावली वापस ~~स्थानि~~ की। दिनांक 13/12/19 को पेश हो।

13/12/19 मिसल पेश। वादिया अधिवक्ता उप। प्रेमकार सिकार उप। भतिवादीगण के अधिवक्ता उप। तहसीलदार सलाह द्वारा पारिवारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने मिसल वास्ते विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 24/12/19 को पेश हो।

24/12/19 मिसल पेश। वादिया अधिवक्ता उपस्थित। वादिया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिनी के खाते खातेदारी के कुछ आराजी नं. अंकन होने से रह गये हैं। जिसके अभाव के कारण प्रार्थिनी के विभाजन का दावा नये नम्बरों के साथ पुनः नये सिरे से किया जाना आवश्यक है। जिसके प्रार्थना को सहमत से रह गये आराजी नम्बरों के साथ नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ उसका वाद उठाने का आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

वादिया अधिवक्ता प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वाद विड्रो किया जाता है। पक्षकार फैसल शुमार होकर नये नम्बर से वाद दायर करें।

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:19:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner